D. No. 5623 /PW./2002
Dated 3/6/02

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक:प.2(8)राज/ग्रुप-9/02 जयपुर, दिनांक 30 मई 2002

1- समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान ।
2- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

विषय: राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में ।

========

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 4(घ) के अनुसार रेल पटरी, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राज मार्ग या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय या राज्य सरकार के इस निमित्त बनाये गये अधिनियम/नियमों में विनिर्दिष्ठ किसी स्थानीय प्राधिकृत द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य सड़क की सीमाओं के या किसी ग्राम के राजस्व नक्शे में यथा दर्शित ग्रामीण रास्ते के मध्य 20 फुट के भीतर आने वाली भूमि के संपरिवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा मंजूर नहीं किये जाने का प्रावधान है ।

उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 150 मीटर की पट्टी में (राष्ट्रीय राजमार्ग के केन्द्र से 75 मीटर दोनों तरफ) के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भूमि रूपान्तरण नहीं किया जाये, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य होने दिया जाये । ये आदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए बनायी जाने वाली सेवा सड़कों पर लागू नहीं होंगे ।

उपरोक्त निर्देशों से सभी सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को अवगत कराया जावे तथा पालना सुनिश्चित की जावे ।

भवदीय,
Sd/- 31/5/2002
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:
1- मेम्बर (एडीएमएन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी 5-6, सेक्टर -10 द्वारका, नई दिल्ली 110045 को उनके पत्र दिनांक 22-5-02 के संदर्भ में ।
2- सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है ।

Sd/- 30/5/2002
शासन उप सचिव

No. 5017-19 dt 4-7-2002

अधिशाषी अभियन्ता
सा. नि. वि. खण्ड
नोहर

Spare copy